A-1

# कार्यालय जिला न्यायाधीश, भदोही।

संख्या– 462 / 2020

**आदेश**

श्री राजेश कुमार मिश्र

अभिलेखपाल–दीवानी

मेरे द्वारा आज दिनांक–23.12.2020 को समय 4.45 पी.एम. पर अभिलेखागार दीवानी एवं फौजदारी का औचक निरीक्षण इस इस आशय से किया गया कि निर्णय पत्रावलियों को सुचारु रुप से रखने हेतु मंगाये गये रैक को मजदूरों की सहायता से अभिलेखागार में यथा स्थान पर रखा जा सके, किन्तु आप अभिलेखागार का ताला बन्द करके अनुपस्थित पाये गये, जिससे मंगाये गये रैक को यथा–स्थान नहीं रखा जा सका और पेमेन्ट पर लाये गये मजदूरों को वापस किया गया।

कार्यालय अवधि में ताला बन्द करके आपका अनुपस्थित पाया जाना आपकी अपने कार्य के प्रति अरुचि एवं लापरवाही प्रतीत होती है, जिसके सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है।

एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से आपको निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन की अवधि में आपको वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 53 के प्रावधानो के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय वेतन राशि के बराबर देय होगी तथा उनके जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। निलम्बन अवधि में आपको प्रशासनिक कार्यालय से सम्बद्ध किया जाता है।

आदेश की प्रति सम्बन्धित कर्मचारी एवं लेखानुभाग को प्रेषित की जाये।

23-12-2020

जिला न्यायाधीश
भदोही।